



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 15 जुलाई, 1998

आषाढ़ 24, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याणअनुभाग-1

संख्या 961/64-1-98-70-96

लखनऊ, 15 जुलाई, 1998

अधिसूचना

प० अ०--335

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके; राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

संशोधन

1--उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में,--

(क) नीचे स्तम्भ -1 में दो गई प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक के सातवें स्तम्भ-2 में दो गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी अर्थात्:--

स्तम्भ-1

24--तेली, सामानी, रोगनगर, साहू

स्तम्भ-2

24--तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, नंधी, अरफि

(ख) प्रविष्ट संख्या-66 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:--

67--मोची

श्रीजा से,

आर० वी० भास्कर
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सप्ताहपत्र, 15 जुलाई, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 961/LXIV-1-98-70-96, dated July 15, 1998 :

No. 961/LXIV-1-98-709-96
Dated Lucknow, July 15, 1998

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-1 of the aforesaid Act :—

AMENDMENT

1. In Schedule-1 of the aforesaid Act,—

(a) for the entries set out in column-1 below, the entries as set out against each in column-2 shall be *Substituted*, namely :—

Column—1
24—Teli, Samani, Rogangar, Sahu.

Column—2
Teli, Samani, Rogangar, Sahu,
Rauniar, Arrak, Gundhi,

(b) after entry 66 the following entry shall be *inserted* namely :—
67—Mochi

By order,
R. B. BHASKAR,
Pramukh Sachiv.